रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2016/चैत्र 9, 1938
No. 215] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2016/ CHAITRA 9, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

सं. 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 362(अ).—जबकि कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 7 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-(i) में प्रकाशित दिनांक 7 जनवरी, 2015 की अपनी अधिसूचना सं.15/22/2014-डीजीएडी, के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य (यहां जिसे विषयगत देश/भू क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए "टायरों के लिए टायर क्युरिंग प्रेस जिसे टायर वलकानाईजर्स अथवा टायरों के लिए रबड प्रोसेसिंग मशीनरीज भी कहा जाता है, जिसमें क्यूरिंग बाईसाईकिल टायरों के लिए 6 डे लाइट बाईसाईकिल टायर्स क्यूरिंग प्रेसों शामिल नहीं है (यहां जिन्हें विषयगत वस्तु के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 8 जनवरी, 2010 को सा.का.नि. सं. 21(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 1 /2010-सीमा शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 3 मार्च, 2015 को सा.का.नि. सं. 170 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 मार्च,2015 की अधिसूचना सं. 6/2015- सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा, 7 जनवरी, 2016 तक विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तु पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था।

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में दिनांक 5 जनवरी, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/22/2014-डीजीएडी के अंतर्गत अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु की भारत बाजार में संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है,

(ii) विषयगत देश से विषयगत वस्तु के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, नामित अधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्भूमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे माल पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से , उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित सी आई एफ मूल्य के प्रतिशत की लागू करके निकाली गई राशि की दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	शीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यातक देश/क्षेत्र	उत्पादक	निर्यातक	सी आई एफ मूल्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	84775100	टायर क्यूरिंग प्रेस के अलावा 6 डे लाइट बाईसाईकिल टायर्स	130" तक के सभी आकार	चीन जन गण	चीन जन गण	कोई	कोई	15
2	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन गण	कोई	कोई	कोई	15
3	-वही-	-वही-	-वही-	कोई	चीन जन गण	कोई	कोई	15

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अवतरित मूल्य से अभिप्राय वस्तु आकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत हो तथा उन सभी सीमा शुल्क से है जो उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 14 से है ।

[फा. सं. 354/80/2009-टीआरयू (भाग-I)]

के. कालीमुथु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

No. 11/2016-Customs (ADD)

G.S.R.362 (E). – Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/22/2014-DGAD, dated the 7th January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th January, 2015, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Tyre Curing Presses also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres, excluding Six Day Light Curing Press for curing bi-cycle tyres (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 01/2010-Customs as amended, dated the 8th January, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 21(E), dated the 8th January, 2010;

And whereas, the Central Government had extended the period of imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country, up to and inclusive of the 7th January, 2016, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.06/2015-Customs(ADD), dated the 3rd March, 2015, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R 170(E), dated the 3rd March, 2015;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings published *vide* notification No. 15/22/2014-DGAD, dated the 5th January, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th January, 2016 has come to the conclusion that-

(a) the subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;

(b) the domestic industry has suffered material injury;

(c) the material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country;

and has recommended imposition of the definitive anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (5) and produced by the producer as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the country as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporter as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an Anti-dumping duty at the rate to be worked out as percentage of the CIF value of imports of the subject goods as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table.

TABLE

S. No	Tariff Item	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	% of CIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	8477 51 00	Tyre curing Presses except Six Day Light Curing Press for curing bi-cycle tyres	All sizes upto 130”	People’s Republic of China	People’s Republic of China	Any	Any	15
2	8477 51 00	-do-	-do-	People’s Republic of China	Any	Any	Any	15
3	8477 51 00	-do-	-do-	Any	People’s Republic of China	Any	Any	15

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Note.- For the purpose of this notification, “CIF value” means assessable value as determined under section 14 of Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 354/80/2009-TRU(Pt.-I)]

K. KALIMUTHU, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

सं. 1/2016-सीमा शुल्क(एसजी)

सा.का.नि.363(अ).-जबकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208 अथवा टैरिफ मद 7225 30 90 के अंतर्गत “600 मिमि. अथवा इससे अधिक चौडाई वाले क्वायलों में गैर मिश्रधातु और अन्य मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं के रूप में सदर्भित किया गया है), के आयात के मामले में महानिदेशक (रक्षोपाय) अपने प्रारंभिक निष्कर्ष, जो कि दिनांक 9 सितम्बर, 2015 की सा.का.नि. सं. 690 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3 , उपखंड (i) में दिनांक 9 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित किए गए थे, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत में विषयगत वस्तुओं के बढ़े हुए आयात से विषयगत वस्तुओं के घरेलू उद्योग/उत्पादकों को गंभीर क्षति

पहुंची है और क्षति पहुंचने का अंदेशा है जिससे भारत में विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम रक्षोपाय डयूटी लगाया जाना अनिवार्य हो गया है;

और जबकि महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2015 –सीमा शुल्क(एसजी) , दिनांक 14 सितम्बर, 2016 जो कि भारत के राजपत्र ,असाधारण भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 694(अ) के अंतर्गत दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित की गई थी, के तहत भारत ने विषयगत वस्तुओं के आयात पर 14 सितम्बर, 2015 से 200 दिन के लिए अनंतिम रक्षोपाय डयूटी लगाई है ;

और जबकि महानिदेशक रक्षोपाय ने अपने अंतिम निष्कर्षों , जो कि भारत के राजपत्र भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 308(अ) के अंतर्गत दिनांक 15 मार्च, 2016 को प्रकाशित किए गए थे, में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208 अथवा टैरिफ मद 7225 30 90 के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं पर अनंतिम रक्षोपाय डयूटी उद्ग्रहित किए जाने की तारीख से 2 वर्ष और 6 माह के लिए रक्षोपाय डयूटी लगाए जाने की सिफारिश की है;

अब अत: सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय डयूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 के नियम 12, 14 और 17 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2015-सीमा शुल्क(एसजी) दिनांक 14 सितम्बर, 2015, जो कि सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2015 के तहत प्रकाशित की गई थी, का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार , महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात और पैरा 2 के प्रावधानों के अधीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208 अथवा टैरिफ मद 7225 30 90 के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं, जब वे भारत में आयात की जाती हैं तो उन पर निम्नलिखित दर से एतत द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाती है , अर्थात:-

(क) 14 सितम्बर, 2015 से 13 सितम्बर, 2016(इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 20 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;

(ख) 14 सितम्बर, 2016 से 13 मार्च, 2017(इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 18 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;

(ग) 14 मार्च, 2017 से 13 सितम्बर, 2017(इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 15 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;

(घ) 14 सितम्बर, 2017 से 13 मार्च, 2018(इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 10 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;

2. यह रक्षोपाय डयूटी, भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) की दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 38/2015-2020, जो कि भारत के राजपत्र, (असाधारण) भाग - II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ.सं.391(अ) के अंतर्गत दिनांक 5 फरवरी, 2016 को प्रकाशित की गई थी, की शर्तों के अनुसार ऐसी विषयगत वस्तुओं जो कि न्यूनतम आयात मूल्य पर अथवा इससे अधिक मूल्य पर आयात की जाती है, पर नहीं लगाई जाएगी।

3. इस अधिसूचना में विहित कोई भी बात, चीन जनवादी गणराज्य और उक्रेन के अलावा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा(6) के खंड (क) के अंतर्गत विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित देशों से होने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-विषयगत वस्तुओं के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-

क. 600 मिमि. से कम नाममात्र की चौडाई वाले इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;

ख. एपीआई ग्रेड स्टील;

ग. सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील;

घ. स्प्रिंग इस्पात गुणवत्ता वाले इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;

ङ. इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो कि जिंक के साथ इलेक्ट्रोलाइटिकल रूप से प्लेटिड अथवा कोटिड हैं;

च. जिंक के साथ प्लेटिड अथवा कोटिड के अलावा इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;

छ. जंग रहित इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लेट उत्पाद।

[फा. सं. 354/219/2015-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

No. 1/2016-Customs (SG)

G.S.R. 363 (E). - Whereas, in the matter of import of "Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under heading 7208 or tariff item 7225 30 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Director General (Safeguard), in his preliminary findings, published *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 9th September, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 9th September, 2015, had come to the conclusion that increased imports of subject goods into India has caused and threatened to cause serious injury to the domestic industry and producers of subject goods, thereby necessitating the imposition of provisional safeguard duty on imports of the subject goods into India;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the Director General (Safeguard), the Central Government has imposed provisional safeguard duty on import of the subject goods into India for a period of two hundred days with effect from the 14th day of September, 2015 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2015-Customs (SG), dated the 14th September, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 694 (E), dated the 14th September, 2015;

And whereas, in the final findings *vide* number G.S.R. 308(E), dated the 15th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), the Director General (Safeguard) has recommended the imposition of safeguard duty on subject goods falling under heading 7208 or tariff item 7225 30 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act for a period of two years and six months from the date of levy of provisional safeguard duty;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, read with rules 12, 14 and 17 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2015-Customs(SG), dated the14th September, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 694 (E), dated the 14th September, 2015, the Central Government, after considering the said findings of the Director General (Safeguards) and subject to the provisions of paragraph 2, hereby imposes on subject goods falling under heading 7208 or tariff item 7225 30 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, when imported into India, a safeguard duty at the following rate, namely:-

(a) twenty per cent *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 14th September, 2015 to 13th September, 2016 (both days inclusive);

(b) eighteen per cent *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 14th September, 2016 to 13th March, 2017 (both days inclusive);

(c) fifteen per cent *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 14th March, 2017 to 13th September, 2017 (both days inclusive); and

(d) ten per cent *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 14th September, 2017 to 13th March, 2018 (both days inclusive).

2. The safeguard duty shall not be imposed on the subject goods which are imported at or above the Minimum Import Price in terms of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) (Directorate General of Foreign Trade) No. 38/2015-2020, dated the 5th February, 2016

published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 391(E) dated the 5th February, 2016.

3. Nothing contained in this notification shall apply to imports of subject goods from countries notified as developing countries under clause (a) of sub-section (6) of section 8B of the Customs Tariff Act, other than People's Republic of China and Ukraine.

Explanation: The following are not included in the scope of subject goods:

a) Hot-rolled flat products of steel with nominal width less than 600mm;

b) API grade steel;

c) Silicon electrical steel;

d) Hot-rolled flat products of steel of spring steel quality;

e) Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc;

f) Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc; and

g) Hot-rolled flat products of stainless steel.

[F.No.354/219/2015-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.